



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ७७१।

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई १५, २००९/वैशाख २५, १९३१

No. 771।

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2009/VAISAKHA 25, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, १५ मई, २००९

New Delhi, the 15 May, 2009

का.आ. 1241(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पृष्ठी अर्थानियम, २००२ (२००३ का १२) को धारा १ की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शर्कियों का प्रयोग करते हुए, २० मई, २००९ को वह तारीख नियत करता है जिसका उक्त अधिनियम को धारा ३, धारा ४, धारा १८, धारा १९, धारा २१, धारा २६, धारा २७, धारा २८, धारा ३२, धारा ३३, धारा ३५, धारा ३८, धारा ३९, धारा ४१, धारा ४२, धारा ४३, धारा ४५, धारा ४६, धारा ४७, धारा ४८, धारा ५४, धारा ५५ और धारा ५६ प्रवृत्त होगी।

S.O. 1241(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints the 20th day of May, 2009 as the date on which Sections 3, 4, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 54, 55 and 56 of the said Act shall come into force.

[फा. सं. ५/४/२००३-आईजीसी/सीएस]

[F. No. 5/4/2003-IGC/CS]

अविनाश क. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.